फाइल नं0-71-3002/8/2022-2022-03

71/2026/I/1275263/2026

प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 21 मार्च, 2026

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2025-26 में महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में 30 बेडेड ट्रामा सेन्टर, 20 बेडेड बर्न वार्ड एवं 20 बेडेड टाक्सीकोलाजी वार्ड (L-1 CATEGORY) युक्त भवन के निर्माण हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2025-26/568, दिनांक 19.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजी पक्ष में महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में 30 बेडेड ट्रामा सेन्टर, 20 बेडेड बर्न वार्ड एवं 20 बेडेड टाक्सीकोलाजी वार्ड ( L-1 CATEGORY) युक्त भवन के निर्माण हेतु मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में 30 बेडेड ट्रामा सेन्टर, 20 बेडेड बर्न वार्ड एवं 20 बेडेड टाक्सीकोलाजी वार्ड (L-1 CATEGORY) युक्त भवन के निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 2468.63 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 617.16 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या-28/2023/I/281928/2023-71-3002/8/2022-03, दिनॉक 28.02.2023 द्वारा अवमुक्त की गई है। तदोपरान्त प्रश्नगत कार्य हेतु शासनादेश दिनॉक 28.06.2024 द्वारा रू0 617.15 लाख तथा शासनादेश दिनॉक 05.12.2024 द्वारा रू0 382.85 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। इस प्रकार प्रश्नगत कार्य हेतु कुल रू0 1617.16 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजी पक्ष में महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में 30 बेडेड ट्रामा सेन्टर, 20 बेडेड बर्न वार्ड एवं 20 बेडेड टाक्सीकोलाजी वार्ड ( L-1 CATEGORY) युक्त भवन के निर्माण हेतु मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में संलग्न बी0एम0 प्रपत्र के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख (रू0 पॉच करोड़ मात्र) अवमुक्त किये जाने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग वित्तीय वर्ष 2025-26 में नहीं की जाएगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गई है।

(4) स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जायेगा।

(5) शासनादेश संख्या-28/2023/I/281928/2023-71-3002/8/2022-03, दिनॉक 28.02.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,00,00,000 ( रुपये पॉच करोड़ मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 031 **लेखा शीर्षक** 4210031051106 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

**संलग्नक-यथोक्त।**

भवदीय,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
6. कोषाधिकारी, देवरिया।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( चन्द्र शेखर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।